फोन: 0291 -5153703

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन्
राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

प्रशासनिक खण्ड नागौर रोड़, कडवड़, जोधपुर (पिन नं. 342037)
Web side : www.raujodhpur.org , E-mail- rau_jodhpur@yahoo.co.in

क्रमांक :– रा.आ.वि./जोध/लेखा/2023–24/13198 दिनांक: 16.03.2024

वित्त एवं लेखा समिति की दिनांक 06.03.2024 को आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण :–

डॉ. स.रा. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर की वित्त एवं लेखा समिति का उपवेशन दिनांक 06.03.2024 को माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में 03.15 बजे विश्वविद्यालय परिसर, करवड़, जोधपुर में आयोजित हुआ। इसमें निम्नलिखित अधिकारियों ने भाग लिया :–

1. प्रो. डॉ. प्रदीप कुमार प्रजापति, कुलपति — अध्यक्ष
   डॉ. स.रा. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर।

2. प्रो. गोविन्द सहाय शुक्ला, कुलसचिव
   डॉ. स.रा. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर। — आमंत्रित सदस्य

3. श्री दिनेश कुमार बारहठ, कोषाधिकारी (शहर), जोधपुर — सदस्य
   प्रतिनिधि संभागीय आयुक्त, जोधपुर।

4. प्रो.चन्दन सिंह, विभागाध्यक्ष, द्रव्यगुण विभाग — सदस्य
   आंगिक आयुर्वेद महाविद्यालय, करवड़, जोधपुर

6. श्री मंगला राम विश्नोई , नियंत्रक (वित्त) — सदस्य सचिव
   डॉ. स.रा. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर।

सर्वप्रथम वित्त नियंत्रक एवं सदस्य सचिव ने उपवेशन में उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया। स्वागत पश्चात् उपनिवेशन के एजेण्डा पर बिन्दुवार चर्चा हेतु अध्यक्ष महोदय से अनुमति चाही गई। अनुमति पश्चात बैठक कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

एजेण्डा संख्या	एजेण्डा बिन्दु	कार्यवाही विवरण
1.	गत बैठक दिनांक 15.09.2023 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।	समिति के सदस्यों द्वारा कार्यवाही विवरण का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया एवं बकाया बैंक समाशोधन शीध्र ही पूर्ण किये जाने के निर्देश प्रदान किये जाते हुए आगामी वित्त एवं लेखा समिति की बैठक में रखने का अनुमोदन किया गया । अतिथि व्याख्यान/सेमिनार इत्यादि हेतु यू.जी.सी के परिपत्र को अक्षरक्षः लागू किये जाने का अनुमोदन किया गया।
2.	विश्वविद्यालय के सनदी लेखाकार द्वारा वित्त वर्ष 2022–23 का किये गये आन्तरिक अंकेक्षण प्रतिवेदन पर विचार विमर्श एवं अनुमोदन।	समिति के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
3.	विश्वविद्यालय आय–व्ययक अनुमान 2024–25 एवं संशोधित आय–व्ययक 2023–24 पर विचार विमर्श एवं अनुमोदन	समिति के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
4.	विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कैन्टीन हेतु अनुदानित नवीन शुल्क व्यवस्था का अनुमोदन	समिति के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। एवं डे–स्कॉलर हेतु भी अनुदानित नवीन शुल्क व्यवस्था लागु किये जाने हेतु मैंस सचालन कमेटी को दरें तय करने हेतु निर्देशित किया गया।
5.	सम्पदा अधिकारी से प्राप्त विश्वविद्यालय परिसर में विभिन्न क्वाटर्स के निमार्ण कार्यो हेतु अनुमानित व्यय राशि रूपये 550.18 लाख के कार्यो हेतु प्रस्ताव पर विचार–विमर्श।	एजेण्डा बिन्दु पर विचार–विमर्श किया गया। विश्वविद्यालय निधि सें क्वार्टर टाईप Vth के निर्माण कार्य हेतु अनुमानति व्यय 82.16 लाख से सैद्वान्तिक सहमति प्रदान की गई। क्वार्टर टाईप 1st, IInd एवं IVth के निर्माण हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाने के निर्देश प्रदान किये गये।
6.	विश्वविद्यालय के संघटक चिकित्सालय में आपातकालीन यूनिट प्रारम्भ किये जाने पर विचार–विमर्श एवं अनुमोदन।	आपातकालीन यूनिट प्रारम्भ किये जाने का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। आपातकालीन यूनिट प्रारम्भ किये जाने हेतु आवश्यक 01 एम.बी.बी.एस./एम.डी डाक्टर एवं नर्सिग स्टॉफ U.T.B. के आधार पर सेवाएं प्रत्येक दिवस 24 घण्टे के लिये जाने का निर्णय लिया गया।
7.	विश्वविद्यालय के संवेदक के माध्यम से कार्यरत मानव सेवा को विभिन्न कार्यो हेतु यात्रा/कन्वेंस एवं अन्य भत्तों पर विचार–विमर्श एवं अनुमोदन।	संवेदक से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार संवेदक के माध्यम से कार्यरत सहायक कानूनी अधिवक्ताओं को माननीय न्यायालय एवं पैनल अधिवक्ताओं के कार्यालयों हेतु यात्रा/कन्वेंस एवं अतिरिक्त कार्य पर 500/– दैनिक कार्यभत्ता प्रत्येक महीने में अधिकतम 20 दिवस तक स्वीकृत किया जाता है। संवेदक के माध्यम से कार्यरत अन्य कार्मिको को भी समान प्रकरण में दैनिक कार्यभत्ता प्रभारी अधिकारी के सत्यापन के आधार पर

		स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। चूंकि विश्वविद्यालय की भौगोलिक स्थिती शहर से लगभग 30 किमी की दूरी पर होने के कारण उचित कुशलता प्राप्त कार्मिकों की उपलब्धता नहीं होने के कारण विश्वविद्यालय में संवेदक के माध्यम से कार्यरत उच्च कुशल एवं विशेष योग्यता कार्मिको को स्वीकृत मानदेय दर में 1500/– प्रतिमाह की बढोतरी एवं कुशल एव अकुशल कार्मिकों को 1000/– प्रतिमाह बढोतरी की स्वीकृति प्रदान की जाती है। महिला एवं पुरूष हास्टल पर्यवेक्षकों को भी विशेष योग्यता प्राप्त कार्मिको में सम्मिलित किया जाते हुए उनके मानदेय में 10 प्रतिशत बढोतरी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
8.	विश्वविद्यालय के आंगिक महाविद्यालय केकडी के अस्थायी भवन संचालन पर भवन किराये में 5 प्रतिशत बढोतरी किये जाने का अनुमोदन।	समिति के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। एवं उपकुलसचिव एवं सहायक कुलसचिव के आवास बनाने हेतु कार्ययोजना तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।
9.	आयकर विभाग द्वारा कर निर्धाण वित्त वर्ष 2017–18 के क्रम में आयकर विभाग द्वारा बैक खाते से राशि रूपये 10.00 करोड अटैच किये जाने पर विचार–विमर्श।	प्रकरण पर विचार–विमर्श किया गया। विश्वविद्यालय द्वारा की गई अपीलों का अवलोकन किया गया। सनदी लेखाकार को अपील निस्तारण हेतु शीध्र कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया जाने का निर्णय एवं आवश्यकता होने पर विशेषज्ञ सेवाएं लिये जाने का निर्णय लिया गया।
10.	अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की महोदय से (अ) सम्बद्वता प्राप्त महाविद्यालयों के निरीक्षण हेतु नियुक्त निरीक्षकों के मानदेय में वृद्धि पर विचार–विमर्श।	वर्तमान में विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्वता प्राप्त महाविद्यालयों के निरीक्षण हेतु 500/– प्रतिदिन मानदेय दिया जा रहा है। एनसीआईएसएम द्वारा सम्बद्वता निरीक्षण हेतु 4000/– प्रति दिवस मानदेय दिया जा रहा है। प्रकरण पर विचार–विमर्श उपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्वता निरीक्षण हेतु नियुक्त निरीक्षकों को मानदेय 2500/– प्रति दिवस किये जाने की स्वीकृत प्रदान की जाती है।
	(ब) आंगिक आयुर्वेद चिकित्सालय हेतु एनएबीएच प्राप्त करने के क्रम में आवश्यक संसाधनो एवं अस्पताल भवन के मरम्मत हेतु आवश्यक बजट उपलब्ध कराना।	आंगिक आयुर्वेद चिकित्सालय हेतु एनएबीएच प्राप्त करने के क्रम में आवश्यक संसाधनो एवं अस्पताल भवन के मरम्मत हेतु राशि रूपये 3.00 करोड के अतिरिक्त बजट प्रावधान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।
	(स) प्रोजेक्ट रिसर्च फण्ड हेतु राशि रू 5.00 लाख से बढाकर 50.00 लाख किये जाने पर विचार–विमर्श ।	प्रोजेक्ट रिसर्च फण्ड हेतु राशि रू 50.00 लाख किये जाने का अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया ।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

नियन्त्रक (वित्त) एवं सदस्य सचिव

क्रमांक :– रा.आ.वि. / जोध / लेखा / 2023–24 /   दिनांकः

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, मान. कुलपति महोदय, डॉ. स.रा. राज. आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर।
2. संभागीय आयुक्त, जोधपुर।
3. शासन सचिव, आयुष विभाग, राजस्थान सरकार, जोधपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय –1) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. उप शासन सचिव, आयुष, राजस्थान सरकार, जोधपुर।
6. प्रो. गोविन्द सहाय शुक्ल, कुलसचिव, डॉ. स.रा.राज. आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर।
7. प्रो. चन्दन सिंह विभागाध्यक्ष द्रव्यगुण, डॉ. स.रा.राज. आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर।

नियन्त्रक (वित्त) एवं सदस्य सचिव